

22/10  
19

पत्राचार की प्रतीति। वादी व उनके आधिकारिक अधिकारी  
महोदय। वाद-2 का प्रमाण पत्राचार। कोर्ट उपस्थित  
वादी व उनके आधिकारिक अधिकारी के बीच में वाद का  
होपरी क का प्रमाण प्रतीति में सामिल किया गया है।  
प्रमाण पत्राचार होकर वाद का प्रमाण हो गया वाद  
निलंबित हो।

उपखण्ड अधिकारी  
कोर्टकासिम (अलवर)